न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2, अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी- रिद्धिमा शर्मा (जिला न्यायाधीश कैडर)
दांडिक अपील संख्या- 49/2019
सी.एन.आर. नं. RJAL010054302018
सी.आई.एस. नम्बर- 535/2018

1. राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जिला परिषद परिसर, आकाशवाणी के सामने, अलवर राजस्थान, परियोजना प्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जिला परिषद परिसर, आकाशवाणी के सामने, अलवर (राजस्थान)

.....अपीलार्थी-परिवादी

विरूद्ध

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, अलवर
2. प्रीतम सिंह पुत्र बाबूलाल मण्डावरा, निवासी जी-146 सूर्य नगर अलवर, पुलिस थाना एन.ई.बी. अलवर (राजस्थान)

.....रेस्पोडेन्टस

दांडिक अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20-02-2018 न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण)सं.1 अलवर दांडिक प्रकरण संख्या-2067/2015,राज०अ.जा.ज.जा. वित्त एवं विकास सहकारी नि०लि० बनाम प्रीतम सिंह, अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट, पीठासीन अधिकारी पायल गौतम, आर.जे.एस.

उपस्थित:-

1. श्री गणपत सिंह नरूका, अधिवक्ता, अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से।
2. श्री महेश चंद मीना, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

-नि र्ण य- दिनांक: 03-08-2026

01. अपीलार्थी-परिवादी की ओर से यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 20-02-2018 के विरूद्ध माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो कालान्तर में विचारण एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त हुई है।

02. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी द्वारा परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अलवर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोगों को विकास एवं उत्थान हेतु ऋण सहायता प्रदान करता है। इसी क्रम में अभियुक्त प्रीतम सिंह की प्रार्थना पर निगम द्वारा उसे फोटो कोपियर क्रय करने के लिये ऋण राशि प्रदत्त की थी। प्रीतमसिंह को 1,10,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई थी। अभियुक्त ने परिवादी निगम से प्राप्त की गई ऋण राशि की किश्तों की एवं ब्याज की नियमित रूप से अदायगी नहीं की। इसके लिये परिवादी निगम ने अभियुक्त से काफी तकाजा किया। इस पर अभियुक्त ने निगम से प्राप्त किये गये ऋण के आंशिक उन्मोचन के कम में एक चैक संख्या 766762 इण्डियन बैंक शाखा अलवर दिनांक 31-03-2006 राशि 1,32,000 रूपये का दिया था। परिवादी निगम ने उक्त चैक का भुगतान पाने के लिये उसी दिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मनुमार्ग अलवर में जमा कराया। उक्त चैक को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मनुमार्ग अलवर ने समाशोधन हेतु इण्डियन बैंक शाखा अलवर को भेज दिया। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मनुमार्ग द्वारा प्रेषित सूचना पत्र को परिवादी निगम ने दिनांक 15-04-2006 को प्राप्त किया जिसमें उक्त चैक के अनादरित होने का उल्लेख किया गया था। इण्डियन बैंक शाखा अलवर की स्लिप पर चैक के अनादरित होने का कारण अपर्याप्त निधि अंकित किया गया था। जिस पर अभियुक्त को विधिक नोटिस दिनांक 17-04-2006 को प्रेषित किया। उक्त नोटिस को दिनांक 19-04-2006 को अभियुक्त प्रीतम सिंह ने प्राप्त कर लिया, किन्तु अभियुक्त ने चैक राशि का भुगतान नहीं किया....इत्यादि।

03. उक्त परिवाद पेश होने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के न्यायालय में पेश होने पर उसे धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध के आरोप सारांश सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप सुन समझ कर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अन्वीक्षा के दौरान परिवादी पक्ष की ओर से सी.ड.1 महिपाल यादव के बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-6 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

05. रेस्पोडेंट-अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाह के कथन को गलत होना बताया और प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

06. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस अन्तिम सुनने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 20-02-2018 के द्वारा रेस्पोडेंट-अभियुक्त को धारा 138 एन.आई. एक्ट के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया। इस निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध अपीलार्थी-परिवादी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

07. बहस सुनी गई एवं पत्रावली तथा आलौच्य आदेश का अवलोकन किया गया।

08. अपीलार्थी द्वारा अपील का प्रारम्भिक आधार यह लिया गया है कि अभियुक्त प्रीतमसिंह को 1,10,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई थी। अभियुक्त ने परिवादी निगम से प्राप्त की गई ऋण राशि की किश्तों की एवं ब्याज की नियमित रूप से अदायगी नहीं की। अभियुक्त ने निगम से प्राप्त किये गये ऋण के आंशिक उन्मोचन के क्रम में एक चैक संख्या 766762 इण्डियन बैंक शाखा अलवर दिनांक 31-03-2006 राशि 1,32,000 रूपये का दिया था, जो कि अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा विवादित चैक परिवादी निगम के पक्ष में प्रदत्त किया जिस चैक पर अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से परिवादी को चैक जारी नहीं करना, उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं होना या विवादित चैक के अपने कब्जा से परिवादी के कब्जा में होने बाबत् कोई उज्रात या एतराज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त तथ्यों पर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया है। विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की जाकर निर्णय पारित किया गया है, जिसको अपास्त किया जाकर अपीलार्थी-परिवादी की अपील स्वीकार की जाकर अभियुक्त से विवादित चैक की राशि दिलायी जावे।

09. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस की ओर से यह तर्क दिये गये हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी-परिवादी की अपील खारिज की जावे।

10. अपीलार्थी-परिवादी द्वारा अपील में लिये गये आधार एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 20-02-2018 का परिशीलन किया गया तथा पत्रावली पर मौजूद समस्त दस्तावेजात एवं

साक्ष्य को देखा गया।

11. मामले में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि परिवादी निगम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोगों को विकास एवं उत्थान हेतु ऋण सहायता प्रदान करता है। इसी क्रम में अभियुक्त प्रीतम सिंह की प्रार्थना पर निगम द्वारा उसे फोटो कोपियर क्रय करने के लिये ऋण 1,10,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई थी। अभियुक्त ने परिवादी निगम से प्राप्त की गई ऋण राशि की किश्तों की एवं ब्याज की नियमित रूप से अदायगी नहीं की। इस पर अभियुक्त ने निगम से प्राप्त किये गये ऋण के आंशिक उन्मोचन के कम में एक चैक संख्या 766762 इण्डियन बैंक शाखा अलवर दिनांक 31-03-2006 राशि 1,32,000 रूपये का दिया था। परिवादी निगम ने उक्त चैक का भुगतान पाने के लिये उसी दिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मनुमार्ग अलवर में जमा कराया और बैंक से प्राप्त सूचना दिनांक 15-04-2006 के अनुसार अपर्याप्त निधि होने से चैक अनादरित हो गया।

12. इस संबंध में परिवादी की ओर से गवाह सी.ड.1 महिपाल यादव के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं, जिसने अपनी साक्ष्य में परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दस्तावेजी साक्ष्य में चैक प्रदर्श पी-1, रसीद ऑफ बैंक मीमो प्रदर्श पी-2, रिटर्न मीमो प्रदर्श पी-3, नोटिस प्रदर्श पी-4, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी-5 एवं ए.डी. प्रदर्श पी-6 को प्रदर्शित करवाये हैं।

13. परिवाद पत्र एवं गवाह सी.ड.1 महिपाल यादव की साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी निगम द्वारा अपने परिवाद पत्र में अभियुक्त को फोटो कॉपीयर क्रय करने के लिये 1,10,000 रूपये की राशि प्रदत्त करना बताया गया है, उधार देना नहीं बताया गया है। गवाह महिपाल यादव द्वारा अभियुक्त को मई 2002 में ऋण स्वीकृत करना कहा है, लेकिन इस संबंध में परिवादी निगम की ओर से ऋण स्वीकृति पत्र, अभियुक्त से कुल कितनी ऋण राशि प्राप्त करनी थी और अभियुक्त के द्वारा परिवादी निगम को ऋण अदायगी के लिये कितनी राशि का भुगतान किया गया या नहीं किया गया, के संबंध में कोई स्टेटेमेंट दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा परिवादी निगम के गवाह को यह भी जानकारी नहीं है कि अभियुक्त की "ब्याज सहित किस्त" (Installment with Interest) कितनी राशि की

चल रही थी। ऐसी स्थिति में प्रकण में परिवादी निगम "Legally enforceable debt" के तथ्य को प्रमाणित नहीं कर पाया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-परिवादी की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किया जाकर विधिसम्मत आलौच्य निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है।

14. अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय किसी भी प्रकार से तथ्यों के विपरीत एवं विधि से परे प्रकट नहीं होता है। अतः आलौच्य निर्णय की पुष्टि किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा अपीलार्थी-परिवादी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

-आ दे श-

15. परिणामतः अपीलार्थी-परिवादी राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, परियोजना प्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जिला परिषद परिसर, आकाशवाणी के सामने, अलवर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-02-2018 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ अविलम्ब भेजी जावे।

(रिद्धिमा शर्मा)

16. निर्णय आज दिनांक 03-08-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रिद्धिमा शर्मा)